



2025:CGHC:18859

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरविविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 925/2020

1- सुदामाराम साहू पिता मनराखन लाल साहू, आयु लगभग 40 वर्ष

2- श्रीमती केशरी बाई साहू, पति सुदामाराम साहू, आयु लगभग 38 वर्ष

3- कु. नेहा साहू, पिता सुदामाराम साहू, आयु लगभग 14 वर्ष

अपीलार्थी क्रमांक 3 अवयस्क है द्वारा: विधिक संरक्षक पिता सुदामाराम साहू

सभी निवासी- ग्राम भनपुरी, पोस्ट तरसीवन, तहसील एवं जिला धमतरी, छत्तीसगढ़

.....दावाकर्ता

---अपीलार्थी

विरुद्ध

1- जय प्रकाश मेश्राम पिता नंदकुमार मेश्राम, निवासी- ग्राम भनपुरी पोस्ट तरसीवन तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

.....वाहन चालक

2- नीलमणि सिन्हा पिता घनश्याम सिन्हा, निवासी- ग्राम अर्जुनी, तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़

.....वाहन स्वामी

3- शाखा प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एम.बी. ट्रेड सेंटर, मकई चौक- धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

.....बीमाकर्ता

---प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री ए.एल. सिंगरौल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 की ओर से : श्री कुणाल दास, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से : श्री अभिषेक विनोद देशमुख, अधिवक्ता

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 835/2020

1- शाखा प्रबंधक, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एम. बी. ट्रेड सेंटर, मकई चौक, धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

**विरुद्ध**

1- सुदामाराम साहू पिता मनराखनलाल साहू, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम भनपुरी, पोस्ट तरसीवा, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

..... प्रत्यर्थी क्रमांक 01, (आवेदक क्रमांक 1)

2- श्रीमती केशरीबाई साहू पत्नी सुदामाराम साहू, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी- ग्राम भनपुरी, पोस्ट तरसीवा, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

..... प्रत्यर्थी क्रमांक 02, (आवेदक क्रमांक 2)

3- कुमारी नेहा साहू पिता सुदामाराम साहू, आयु लगभग 14 वर्ष, अवयस्क द्वारा: पिता सुदामाराम साहू पिता मनराखनलाल साहू, निवासी- ग्राम भनपुरी, पोस्ट तरसीवा, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

..... प्रत्यर्थी क्रमांक 03, (आवेदक क्रमांक 3)

4- जयप्रकाश मेश्राम पिता नंदकुमार मेश्राम निवासी ग्राम भनपुरी, पोस्ट तरसीवा, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़

..... प्रत्यर्थी क्रमांक 04, (प्रत्यर्थी क्रमांक 1),

5- नीलमणि सिन्हा पिता घनश्याम सिन्हा निवासी ग्राम अर्जुनी, तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़

..... प्रत्यर्थी क्रमांक 05, (प्रत्यर्थी क्रमांक 2),

--- प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक विनोद देशमुख, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 की ओर से : श्री ए.एल. सिंगरौल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 4 व 5 की ओर से : श्री कुणाल दास, अधिवक्ता

एकलपीठ : माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

25/04/2025

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की सम्मति से प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. आवेदकों/दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 925/2020 एवं अनावेदक/बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 835/2020 का निर्णय इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों अपीलें विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 167/2018 में दिनांक 31.01.2020 को पारित एक ही निर्णय से प्रोद्भूत हैं।



3. इन दोनों अपीलों के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि दिनांक 20/09/2018 को ललित कुमार साहू अनावेदक क्रमांक 1 के साथ लकड़ी के लट्टों से लदे बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक- CG 07/BC/6513 में धमतरी से फरसगांव जा रहे थे। रास्ते में करीब 11.30 बजे ग्राम चितोड़ मोड़ के पास अनावेदक क्रमांक 1 जयप्रकाश ने उक्त पिकअप को तेज गति व उपेक्षापूर्वक चलाते हुए वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन पलट गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में ललित कुमार साहू के सिर, दोनों हाथ व कंधे में गंभीर चोट आई। उसे जिला चिकित्सालय धमतरी ले जाया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, रायपुर ले जाते समय ललित कुमार साहू की मृत्यु हो गई।

4. मृतक ललित कुमार साहू की मृत्यु के पश्चात, जो अनावेदक क्रमांक 1 अर्थात अपराध कारित करने वाले वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर की गई थी, आवेदकगण जो मृतक के माता-पिता एवं बहन हैं, ने मोटर यान अधिनियम 1988 (जिसे आगे "1988 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 166 के अधीन दावा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनावेदकगण से संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से विभिन्न मदों में 16,61,000/- रुपए का क्षतिपूर्ति की मांग की गई। आवेदन में व्यक्त किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक 18 वर्षीय स्वस्थ एवं सक्षम युवक था, जो कृषि श्रमिक के रूप में कार्य कर एवं आवेदकगण का भरण-पोषण कर 250/- रुपए प्रतिदिन कमाता था।

5. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने अपने लिखित कथन में दावा आवेदन में किए गए समस्त तर्कों का खंडन किया है तथा यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि अनावेदक क्रमांक 1 एक कुशल चालक है। कथित घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 वाहन को धीमी गति से चला रहा था। यांत्रिक खराबी के कारण पिकअप वाहन का पिछला पहिया एक्सल टूट गया तथा अनावेदक क्रमांक 1 ने वाहन को धीरे-धीरे सड़क के किनारे लगाया, परंतु घबराहट के कारण ललित कुमार साहू वाहन से नीचे कूद गया, जिससे उसे चोट लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई तथा अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से कोई उपेक्षा नहीं हुई। यह भी व्यक्त किया गया है कि दुर्घटना की तिथि को अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध एवं प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति था तथा वाहन का बीमा अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कम्पनी द्वारा कराया गया था, अतः अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है।

6. अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कम्पनी ने अपने लिखित कथन में दावा आवेदन में किए गए समस्त तर्कों का भी स्पष्ट रूप से खंडन किया है तथा व्यक्त किया है कि दुर्घटना की सूचना 25 दिन के विलंब से दी गई, जिससे स्पष्ट है कि दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा बीमाकृत वाहन से नहीं, बल्कि किसी अन्य वाहन से हुई है। यह भी व्यक्त किया गया है कि दुर्घटना की तिथि को मृतक व अन्य व्यक्ति वाहन में अवैध रूप से यात्रा कर रहे थे। यह भी व्यक्त किया गया है कि दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 के पास



हल्के वाहन चलाने का शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था तथा उक्त वाहन का उपयोग दुर्घटना के समय बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरुद्ध किया जा रहा था, अतः अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

7. विद्वान दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करते हुए अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना की तिथि को, अपराध कारित करने वाले वाहन को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, जिसके कारण दुर्घटना हुई जिसमें ललित कुमार साहू को गंभीर चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन साबित नहीं पाया गया, यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी माना और दावाकर्ता द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत हुई हानि की गणना करते हुए कुल 7,10,400/- रुपये का क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया।

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 925/2020

8. इस अपील में उपस्थित अपीलार्थीगण/आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल का तर्क है कि अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने विद्वान दावा अधिकरण द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग करते हुए मुख्य रूप से दो आधार उठाए हैं। उनका तर्क है कि दुर्घटना की तारीख 20.09.2018 है, मृतक की आयु 17 वर्ष थी जैसा कि दावा अधिकरण ने माना था, यद्यपि, विद्वान अधिकरण ने दुर्घटना की तारीख और मृतक की आयु को अनदेखा करते हुए मृतक की आय 7,500 रुपये के बजाय केवल 4,500 रुपये प्रति माह निर्धारित की है, जो प्रकरण के तथ्यों में कम है। आगे उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने समस्त दावाकर्तागण को साहचर्य की हानि हेतु राशि प्रदान न कर त्रुटि की है, परंतु अंतिम संस्कार के व्यय और संपदा की हानि हेतु क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की है और इसलिए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति राशि को उचित रूप से वर्धित किया जाए।

9. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल दास एवं प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक विनोद देशमुख अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के अधिवक्ता के तर्क का पुरजोर विरोध किया एवं तर्क किया है कि अधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति राशि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार उचित और न्यायसंगत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 835/2020



10. अपीलार्थी/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक विनोद देशमुख का तर्क है कि यह अपील बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति राशि का संदाय करने के लिए बीमा कंपनी पर अधिरोपित दायित्व को चुनौती दी गई है। उनका तर्क है कि अधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में असफल रहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था, अतः अधिनिर्णय को संतुष्ट करने का दायित्व उस पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिकरण के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 जयप्रकाश मेश्राम ने अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो एक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है और बीमा पॉलिसी की शर्त के अनुसार, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति हल्का माल वाहन भी चला सकता है, यद्यपि, वह केवल खाली हल्का माल वाहन ही चला सकता है, माल से भरा वाहन नहीं। अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत बीमा पॉलिसी में इस संबंध में विशिष्ट शर्त है, जैसा कि प्र.डी.-4 है।

11. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया एवं तर्क किया कि केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1989 (जिसे आगे "अधिनियम 1989" कहा जाएगा) के नियम 3 के अनुसार, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित वाहन चलाने के लिए अधिकृत है, परंतु कि नियम 1989 के नियम 3 का अनुपालन किया जाए, अर्थात् नियमित अनुज्ञप्ति धारक चालक को वाहन चलाते समय शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक चालक के साथ रहना चाहिए और उसके बगल में बैठना चाहिए।

12. प्रत्यर्थी क्रमांक 4 और 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल दास का तर्क है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जयप्रकाश के पास हल्का मोटर यान चलाने का शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था। दुर्घटना में शामिल वाहन की श्रेणी हल्का माल वाहन है और **मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (2017) 14 एससीसी 663 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, हल्के मोटर यान का अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति हल्का माल वाहन चलाने के लिए भी अधिकृत है। उन्होंने आगे तर्क किया कि निर्विवाद रूप से प्रत्यर्थी क्रमांक 4 जयप्रकाश मेश्राम अर्थात् वाहन चालक जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति है, के साथ-साथ घनश्याम दास मानिकपुरी, जो उक्त वाहन को चलाने के लिए नियमित चालन अनुज्ञप्ति धारक है, भी बैठा था और इसलिए 1989 के नियम 3 के अधीन प्रावधान का अनुपालन होता है। आगे उनका तर्क है कि दुर्घटना प्रत्यर्थी क्रमांक 4 की ओर से उपेक्षा के कारण नहीं हुई है, बल्कि वाहन में यांत्रिक खराबी के कारण हुई है क्योंकि वाहन का एक्सल टूट गया था जिससे वाहन पलट गया और अतः अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है कि बीमा पॉलिसी की शर्त का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।



13. मैंने दोनों अपीलों में संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा दावा प्रकरण के अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

14. जहां तक बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील अर्थात् विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 835/2020 और उसमें उठाए गए आधार का प्रश्न है, अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि विद्वान अधिकरण ने बीमा पॉलिसी प्र.डी.-4 की शर्त पर विचार करने में त्रुटि की है, जिसमें “वाहन चालक खण्ड” के अधीन स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति भी वाहन चला सकता है, जब उसका उपयोग माल के परिवहन के लिए नहीं किया जाता है। बीमा पॉलिसी का उक्त खण्ड सुसंगत है और सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:

“वाहन चालक: बीमाकृत सहित कोई भी व्यक्ति: परंतु कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास दुर्घटना के समय प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति हो और वह ऐसा अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने के लिए अपात्र न हो। परंतु कि प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति दुर्घटना के समय माल के परिवहन के लिए उपयोग न किए जाने पर भी वाहन चला सकता है और ऐसा व्यक्ति केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के नियम 3 की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो।”

15. घनश्याम दास मानिकपुरी (अनावेदक साक्षी-4) और जयप्रकाश मेश्राम (अनावेदक साक्षी-5), जो दुर्घटना के समय उस खराब वाहन में सवार थे, के साक्ष्यों के परिशीलन से, यह स्पष्ट होता है कि वाहन जयप्रकाश(बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी क्रमांक 4) द्वारा चलाया जा रहा था और घनश्याम दास मानिकपुरी, जिसके पास पिकअप वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था, जयप्रकाश के बगल में बैठा था, जो वाहन चला रहा था।

16. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दुर्घटना में शामिल वाहन हल्का माल वाहन है। प्र.डी.-3 में उल्लिखित वाहन के विवरण अर्थात् वाहन के पंजीयन के विवरण के अनुसार, वाहन की श्रेणी एलजीवी – हल्का माल वाहन, बॉडी का प्रकार – पिकअप, सकल वाहन भार – 2960 किलोग्राम, वाहन का बिना लदे भार – 1250 किलोग्राम है, जो 7500 किलोग्राम से कम है। बीमा पॉलिसी की शर्तों से स्पष्ट है कि यद्यपि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति वाहन चलाने के लिए अधिकृत है, तथापि, वह वाहन चालक खंड के अनुसार केवल खाली माल वाहन चलाने के लिए अधिकृत है। बीमा पॉलिसी की कोई भी शर्त विधि के प्रावधान के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। यह 1988 के अधिनियम या 1989 के नियमों के अधीन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता है।



17. अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान अधिनियम 1988 की धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, जिसे सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अंतर्वस्तु-(1) धारा 8 के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति के सिवाय प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालन-अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) यथास्थिति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति में यह भी अभिव्यक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है, अर्थात् :--

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल ;

(ख) गियर वाली मोटर साइकिल;

(ग) अशक्त यात्री गाड़ी ;

(घ) हल्का मोटर यान;

[(ड) परिवहन यान;]

(च) रोड-रोलर

(छ) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार का मोटर यान

18. 1988 के अधिनियम की धारा 10 (2) के परिशीलन से यह प्रावधान होगा कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या, जैसा भी प्रकरण हो, चालन अनुज्ञप्ति धारक को एक या अधिक वर्गों का मोटर यान चलाने का अधिकार देता है, जिसका विवरण उसमें उल्लिखित है जिसमें 'परिवहन यान' भी शामिल है। परिवहन यान के अंतर्गत परिवहन वाहनों की सभी श्रेणियां शामिल हैं। 1989 के नियमों का अध्याय- II मोटर यानों के चालकों के अनुज्ञप्ति से संबंधित है। नियम 3 का खंड (क) वाहन चलाने के लिए फॉर्म -3 में जारी किए गए प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति से संबंधित है। 1989 के नियमों के नियम 3 के अधीन, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक चालक पर लदे परिवहन यान चलाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं कि चालन अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति कब वाहन चला सकता है।

19. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सुसंगत नियम 1989 का नियम 3 सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत है:

"3. सामान्य- धारा 3 की उपधारा (1) के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो चालन में निर्देश प्राप्त कर रहा हो या वाहन चालन में अनुभव प्राप्त कर रहा हो, जिसका प्रयोजन वाहन चालन क्षमता की परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना हो, जब तक कि-



(क) ऐसा व्यक्ति वाहन चलाने के लिए फॉर्म 3 में जारी प्रभावी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का धारक हो;

(ख) ऐसे व्यक्ति के साथ वाहन चलाने के लिए प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति धारक प्रशिक्षक हो और ऐसा प्रशिक्षक वाहन को नियंत्रित करने या रोकने के लिए ऐसी स्थिति में बैठा हो; तथा

(ग) वाहन के आगे और पीछे या आगे और पीछे लगी प्लेट या कार्ड पर नीचे दिए अनुसार सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग में "L" लिखा हो:



नोट: वाहन या प्लेट या कार्ड पर पेंटिंग 18 सेंटीमीटर वर्ग से कम नहीं होगी और नीचे अक्षर "L" 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 सेंटीमीटर मोटा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा से कम नहीं होगा:

परंतु कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल (साइड-कार के साथ या उसके बिना) चलाने का निर्देश प्राप्त करते समय या अनुभव प्राप्त करते समय खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन और तरीके के अतिरिक्त मोटरसाइकिल पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

20. प्र.डी.-1 के परिशीलन से ज्ञात होता है कि यह अनुज्ञप्ति का विवरण है जिसमें वाहन की श्रेणी एमसीडब्ल्यूजी अर्थात् गियर वाली मोटरसाइकिल और एलएमवी अर्थात् हल्का मोटर यान (गैर-परिवहन) बताई गई है। निःसंदेह, दुर्घटना की तारीख को, शामिल वाहन एक हल्का माल वाहन है। यह विवादक कि क्या हल्का मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति हल्का माल वाहन चलाने के लिए भी अधिकृत है, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष **मुकुंद देवांगन** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विचारार्थ आया था जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"60.2. परिवहन यान और ओमनीबस, जिनमें से किसी का सकल वाहन भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, हल्का मोटर यान होगा और मोटर कार या ट्रैक्टर या रोडरोलर, जिसका "बिना लदे भार" 7500 किलोग्राम से अधिक न हो और धारा 10(2)(घ) में वर्णीत अनुसार "हल्के मोटर यान" वर्ग को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति का धारक परिवहन यान या ओमनीबस चलाने के लिए सक्षम है, जिसका सकल वाहन भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोडरोलर, जिसका "बिना लदे भार" 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। अर्थात्, ऊपरोक्त वर्णीत हल्के मोटर यान वर्ग के परिवहन यान को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति पर



अलग से कोई समर्थन आवश्यक नहीं है। धारा 10(2)(घ) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति 28-3-2001 फॉर्म में और 1994 के संशोधन अधिनियम 54 के बाद भी वैध बना रहेगा।

21. हाल ही में **बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध रंभा देवी व अन्य** (2025) 3 एससीसी 95 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि हल्के मोटर यान चलाने का अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति हल्के वाहन के भार के अंतर्गत आने वाले माल वाहन को चलाने के लिए भी अधिकृत है। रंभा देवी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सुसंगत पैरा को सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

“181. उपरोक्त विमर्श के उपरांत हमारे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

181.1. 7500 किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाले वाहनों के लिए धारा 10(2)(डी) के अधीन हल्के मोटर यान (एलएमवी) वर्ग के लिए अनुज्ञप्ति धारक चालक को एमवी अधिनियम की धारा 10(2)(ई) के अधीन विशेष रूप से “परिवहन यान” वर्ग के लिए प्राधिकरण के बिना “अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता वाले परिवहन” को संचालित करने की अनुमति है। लाइसेंसिंग प्रयोजनार्थ, हल्के मोटर यान और परिवहन यान पूरी तरह से अलग वर्ग नहीं हैं। दोनों के मध्य एक अधिव्यापन उपलब्ध है। यद्यपि, विशेष पात्रता आवश्यकताएं ई-कार्ट, ई-रिक्शा और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए लागू होती रहेंगी।

181.2. धारा 3(1) का द्वितीय भाग, जो “परिवहन यान” चलाने के लिए एक विशिष्ट आवश्यकता की आवश्यकता पर बल देता है, मोटर यान अधिनियम की धारा 2(21) में प्रदान की गई हल्के वाहन की परिभाषा का स्थान नहीं लेता है।

181.3. मोटर यान अधिनियम और मोटर यान नियमों में “परिवहन यान” चलाने के लिए सामान्यतः निर्दिष्ट अतिरिक्त पात्रता मानदंड केवल उन लोगों पर लागू होंगे जो 7500 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार वाले वाहन चलाना चाहते हैं, अर्थात् “मध्यम माल वाहन”, “भारी मध्यम माल यात्री वाहन” और “भारी यात्री वाहन”।

181.4. मुकुंद देवांगन (2017) [मुकुंद देवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2017) 14 एससीसी 663] में पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है, परंतु इस निर्णय में हमारे द्वारा बताए गए कारणों से किसी भी अप्रिय चूक की



अनुपस्थिति में, यह निर्णय प्रति अपराध नहीं है, भले ही एमवी अधिनियम और एमवी नियमों के कुछ प्रावधानों पर उक्त निर्णय में विचार नहीं किया गया हो।

182. संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शर्तों में दिया गया है। रजिस्ट्री को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति से निर्देश प्राप्त करने के उपरांत उचित पीठ के समक्ष प्रकरणों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

22. न तो 1988 के अधिनियम की धारा 10 का प्रावधान और न ही 1989 के नियम 3 में यह प्रतिबंध लगाया गया है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को माल लदे वाहन को चलाने से रोका जा सकता है।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह व अन्य (2004) 3 एससीसी 297 के प्रकरण में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के विवादक पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाहन चालन कर रहा था, तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास "विधिवत अनुज्ञप्ति" नहीं है, जिसके फलस्वरूप बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष के दावे से बचने का अधिकार प्राप्त होता है। स्वर्ण सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सुसंगत पैराग्राफ को सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:

“93. मोटर यान अधिनियम, 1988 में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है। [धारा 4(3), धारा 7(2), धारा 10(3) और धारा 14 देखें।] इस प्रकार शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अर्थ में अनुज्ञप्ति भी है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जब अनुज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तों के अधीन शिक्षार्थी द्वारा वाहन चलाया जा रहा है, तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास “विधिवत अनुज्ञप्ति” नहीं है, जिसके फलस्वरूप बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष के दावे से बचने का अधिकार प्राप्त होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति वाहन चलाने का हकदार नहीं है। भले ही बीमा अनुबंध में यह शर्त हो कि वाहन को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा सकता, यह उक्त अधिनियम की धारा 149(2) के प्रावधानों के विपरीत होगा।

x x x

x x x

110. इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न विवादकों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश निम्नानुसार है:

x x x



X X X

(viii) यदि दुर्घटना के समय वाहन को शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था, तो बीमा कंपनियाँ आज्ञप्ति को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

24. बीमा पॉलिसी में उल्लिखित खंड का परिशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें अपवर्जन खंड है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक चालक को माल से लदे हल्के माल वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है, जबकि अधिनियम 1988 की धारा 10 (2) या नियम 1989 के नियम 3 के अधीन प्रावधान बीमा पॉलिसी में उल्लिखित प्रकृति का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। बीमा पॉलिसी की शर्तें अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों अर्थात् 1989 के नियमों के अधीन प्रावधान के अनुरूप होनी चाहिए। बीमा पॉलिसी की शर्तें विधि के प्रावधान के विपरीत नहीं हो सकती हैं।

25. बीमा कंपनी अधिनिर्णय को संतुष्ट करने के लिए बीमा पॉलिसी के अधीन दायित्व से तभी बच सकती है जब विधि के प्रावधान अर्थात् 1988 के अधिनियम या 1989 के नियमों के अनुरूप बीमा पॉलिसी की शर्तों का मूल उल्लंघन हो।

26. 1988 के अधिनियम की धारा 10 (2) में प्रावधान है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति उसमें उल्लिखित श्रेणियों के वाहन भी चला सकता है। 1989 के नियमों के नियम 3 में प्रावधान है कि शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति उस वाहन को चला सकता है जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, परंतु कि उस वाहन की श्रेणी को चलाने के लिए बगल में बैठा कोई अन्य व्यक्ति नियमित अनुज्ञप्ति रखता हो।

27. वर्तमान प्रकरण में, अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, दुर्घटना की तारीख को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास हल्के मोटर यान चलाने का शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था। वाहन चालक की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार, वाहन चलाने के लिए प्रभावी नियमित अनुज्ञप्ति धारक एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। अतः 1989 के नियम 3 का अनुपालन हुआ है।

28. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध डुंडम्मा** (एआईआर 1992 कर. 3) के प्रकरण में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने बीमा पॉलिसी की शर्तों को विधि के अनुरूप या विधि के असंगत मानते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया है:

“23.....इस पॉलिसी की शर्तों, अपवादों और सीमाओं के अधीन अन्यथा।” टैरिफ की विषय-वस्तु और ऊपर उद्धृत पॉलिसी में शामिल शर्तें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि बीमा कंपनी प्रत्येक माल वाहन के संबंध में जोखिम को आच्छादित



करती है, इस स्पष्ट समझ के साथ कि माल वाहन में यात्रियों के संबंध में जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। यदि पॉलिसी में शामिल शर्तें अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, तो निश्चित रूप से उत्तराद्ध लागू होता है, परंतु यदि शर्तें अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, तो उन्हें लागू होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी मंजीली वाहन या ठेका वाहन के संबंध में जारी की गई बीमा पॉलिसी में, इस आशय की एक शर्त शामिल की जाती है कि वह यात्रियों की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, तो ऐसी शर्त अमान्य होगी और विधायिका ने अधिनियम की धारा 66 में इस आशय का एक स्पष्ट प्रावधान भी शामिल किया है। परंतु माल वाहन के संबंध में पॉलिसी में शामिल की गई शर्त कि बीमा कंपनी अधिनियम की धारा 95 के अंतर्गत आने वाले चालक और कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन में ले जाए गए यात्रियों के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी है।

29. प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में, अपवर्जन खंड प्रकरण के तथ्य पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह अधिनियम, 1988 की धारा 10 (2) और 1989 के नियमों के नियम 3 के प्रावधान के विपरीत है।

30. उपर्युक्त विमर्शों हेतु, मेरा विचार है कि दुर्घटना की तिथि पर यद्यपि वाहन चालक के पास हल्के मोटर यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति था, फिर भी, उसने 1989 के नियमों के नियम 3 का अनुपालन किया और, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति राशि को पूर्ण करने का दायित्व तय करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि की है।

31. तदनुसार, बीमा कंपनी के विद्वान का तर्क निरसित किया जाता है, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 835/2020, सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

32. जहां तक क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की मांग करने वाले दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 925/2020 में उठाए गए आधार का संबंध है, अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण ने क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करते हुए दो आधार उठाए हैं। पहला आधार यह है कि दावा अधिकरण ने मृतक की



आय का आकलन कम अर्थात् 4,500 रुपये किया है और द्वितीय यह कि समस्त दावाकर्तागण को 'साहचर्य की हानि' मद के अधीन क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णीत नहीं की गई है।

33. जहां तक दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए पहले आधार का प्रश्न है, निःसंदेह, दुर्घटना की तारीख 20.09.2018 है, दुर्घटना की तारीख को मृतक की आयु 17 वर्ष थी। विद्वान अधिकरण ने मृतक का व्यवसाय कृषि श्रमिक माना है, परंतु मृतक की आय के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, काल्पनिक आधार पर आय 4,500 रुपये का आंकलन किया है। प्रकरण के तथ्यों और दावाकर्ता द्वारा व्यक्त व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार, एक श्रमिक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह दैनिक मजदूरी के रूप में प्राप्त अपनी आय का दस्तावेजी अभिलेख बनाए रखेगा। यदि दावाकर्ता मृतक के व्यवसाय की प्रकृति और आय को साबित करने में असफल भी हो जाता है, तो भी विद्वान अधिकरण को प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, मृतक की आयु, मृतक के व्यवसाय को श्रमिक मानना होगा और मृतक के निवास क्षेत्र में प्रचलित मूल्य सूचकांक, जीवन-यापन का व्यय, पारिश्रमिक संरचना आदि को विचार में रखते हुए आय का आकलन करना होगा और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन आयुक्त और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को भी विचार में रखना होगा। विद्वान दावा अधिकरण ने मृतक की आय 4,500/- रुपये प्रति माह निर्धारित करने का कोई कारण नहीं दर्शाया है।

34. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में, इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में विद्वान अधिकरण ने केवल अनुमान के आधार पर मृतक की आय 4,500/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने में त्रुटि की है, अतः उक्त निष्कर्ष संधारणीय नहीं है एवं तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है।

35. प्रकरण के तथ्यों में मृतक की आय निर्धारित करने हेतु मैं छत्तीसगढ़ के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना का आश्रय लेना चाहता हूँ, जिसमें क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। कृषि श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2017 से 31.03.2018 तक जारी अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 7020/- रुपये प्रतिमाह है। अतः यह न्यायालय मृतक की मासिक आय 7020/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित करना उचित समझता है। तदनुसार आदेशित किया जाता है। भविष्य की संभावनाओं हेतु 40% का जोड़, 18 के गुणक का प्रयोग विद्वान दावा अधिकरण द्वारा उचित रूप से लागू किया गया है। विद्वान अधिकरण ने अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15,000/- रुपये और संपदा की हानि के लिए 15,000/- रुपये भी अधिनिर्णीत किया हैं, यद्यपि, विद्वान दावा अधिकरण 'साहचर्य की हानि' मद के अधीन क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत करने में असफल रहा। साहचर्य की हानि के लिए क्षतिपूर्ति अधिनिर्णय के सिद्धांत पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य (2017) 16



एससीसी 680 के प्रकरण में विचार किया है। उक्त सिद्धांत को **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य** (2018) 18 एससीसी 130 के प्रकरण में आगे समझाया गया है। **नानू राम** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीन प्रकार के साहचर्य हैं अर्थात् दाम्पत्य का साहचर्य, पैतृक साहचर्य और संतान का साहचर्य जो मृतक के विधिक प्रतिनिधियों अर्थात् पत्नी, संतानों और माता-पिता को 40,000/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अधिनिर्णीत किया जाए। दावाकर्ता मृतक के माता-पिता और बहन हैं। **नानू राम** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में विधि के अनुसार, अपीलार्थी/दावाकर्ता क्रमांक 1 व 2 में से प्रत्येक माता-पिता होने के नाते संतान के साहचर्य की हानि हेतु 40,000/- रुपये की राशि के हकदार होंगे। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

36. इसके अतिरिक्त, **प्रणय सेठी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अन्य पारंपरिक मदों के अधीन राशि को हर तीन वर्ष में प्रतिशत के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए और वृद्धि हर तीन वर्ष की अवधि में 10% की दर से होनी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, दुर्घटना वर्ष 2018 की है। इसलिए, अपीलार्थी/दावाकर्ता अन्य पारंपरिक मदों के अधीन राशि पर 10% की वृद्धि के हकदार हैं। अतः अन्य पारंपरिक मदों के अधीन राशि को 10% की दर से बढ़ाकर अपीलार्थी अब संपदा की हानि के लिए 16,500 रुपये (15000 + 10%), अंतिम संस्कार के व्यय के लिए 16,500 रुपये (15000 + 10%) और अपीलार्थी क्रमांक 1 और 2 में से प्रत्येक को संतान के साहचर्य की हानि के लिए रु. 44,000/- (40000 + 10%) के संदाय के हकदार है।

37. उपरोक्त विमर्शों और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के लिए, मैं क्षतिपूर्ति राशि की पुनः गणना करना उचित समझता हूँ:-

क्रमांक	मद		क्षतिपूर्ति राशि
1.	(क) आय/आश्रितता की हानि $7020 \times 12 = 84,240$ (ख) भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ @ 40% ($84240 \times 40\% = 33696$) $84240 + 33696 = 1,17,936$ (ग) व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए 50% की कटौती ($1,17,936 \times 50\% = 58,968$) $117936 - 58968 = 58,968$ (घ) 18 का गुणक $58968 \times 18 = 10,61,424$		रु. 10,61,424
4.	अंतिम संस्कार व्यय ($15000 \times 10\% = 1500$) $15000 + 1500 = 16,500$	:	(+) रु. 16,500
5.	संपदा की हानि	:	(+) रु. 16,500



	(15000 x 10%= 1500) 15000 + 1500= 16,500		
8.	मृतक के माता-पिता होने के कारण दावाकर्ता क्रमांक 1 व 2 में से प्रत्येक को 44,000/- रुपये संतान के साहचर्य की हानि हेतु (40,000 x 10 % = 4400, 40000 + 4400 = 44,000)	:	(+) रु. 88,000
	कुल क्षतिपूर्ति	:	रुपए 11,82,424

38. अब अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण को दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत 7,10,400/- रुपये के स्थान पर कुल **11,82,424/-** रुपये का क्षतिपूर्ति अधिनिर्णीत किया जाता है।

39. उपर्युक्त क्षतिपूर्ति की कुल राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर उसके प्राप्त होने तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। दावाकर्तागण को पहले से संदाय की गई क्षतिपूर्ति की कोई भी राशि क्षतिपूर्ति की कुल राशि से समायोजित की जाएगी, जिसकी गणना अब इस न्यायालय द्वारा की गई है और अधिनिर्णीत किया गया है। आक्षेपित अधिनिर्णय की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

40. फलस्वरूप, अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 925/2020 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित अधिनिर्णय को ऊपर वर्णित अनुसार संशोधित किया जाता है। विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 835/2020 खारिज की जाती है।

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।